

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) चौहटन, जिला बाड़मेर  
कमांक/भू.अ./2025 / 434

दिनांक 08/04/25

प्रार्थी :-

1. अकबर पुत्र वली मोहम्मद  
जाति मुसलमान, निवासी बीजराड  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण :-

1. अनवर 2. जुल्फिकार 3. अब्दुल गफार पि. वली मोहम्मद  
जाति मुसलमान निवासी बीजराड तहसील चौहटन  
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने  
नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन 306/2024


दिनांक 08.04.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड के मौजा बीजराड के खेत खसरा सं. 310 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यक होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

प्रार्थी कमिश्नर को कमिशनर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक

08/04/25

कमांक/भू.अ./2025 / 435 + 38

प्रतिनिधि:-

1. तहसीलदार, चौहटन
2. प्रार्थी अकबर पुत्र वली मोहम्मद
3. विप्रार्थी अनवर पुत्र वली मोहम्मद
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धोरीमना/धनाऊ

  
(कु.स. चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन